



## न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़. (राज.)

पीठीसीन अधिकारी

डॉ. अंजलि राजौरिया (I.A.S.)  
जिला कलक्टर, प्रतापगढ़

प्रकरण संख्या	GCMS.No.	दर्ज दिनांक	फैसल दिनांक
07/2022	2022/48	18.07.2022	14.06.2024

1. श्री ईश्वर लाल पुत्र नरसिंह बंजारा उम्र 45 वर्ष निवासी भमेरिया तहसील एवं जिला प्रतापगढ़ (राज.) :- प्रार्थी

—: बनाम :—

1. श्री कन्हैयालाल पिता शंकरलाल जाति दर्जी उम्र 50 वर्ष निवासी काजली तहसील एवं जिला प्रतापगढ़ (राज.)
2. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार प्रतापगढ़ (राज.) :- अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के तहत विरुद्ध आवंटन मिशाल संख्या 158/1998 आदेश दिनांक 11.06.1998 के संबंध में

उपस्थिति :-

1. श्री विशाल सालवी (अधिवक्ता प्रार्थी)
2. श्री विमल कुमार मोदी (अधिवक्ता अप्रार्थी)


—: आदेश :—

दिनांक :-14.06.2024

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के तहत प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि राजस्व ग्राम काजली पटवार हल्का बरड़िया की आराजी संख्या 42 रकबा 5.05 हैक्टर किस्म बिलानाम बंजड़ भूमि में से 0.50 हैक्टर भूमि जरिये आवंटन मिशाल संख्या 158/1998 आदेश दिनांक 11.06.1998 के द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में आवंटित करते हुए नामान्तरकरण संख्या 99 दिनांक 05.07.1998 के द्वारा उक्त भूमि रकबा जरिये आराजी संख्या 42/479 रकबा 0.50 हैक्टर भूमि अप्रार्थी के नाम बतौर गैर-खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज की गई है।

प्रार्थी द्वारा दिनांक 01.06.2022 को अपने काब्जे काशत में उपलब्ध उक्त भूमि को समतल करने तथा तारबंदी कराने हेतु जोसीबी से कार्य कराना चाहे जाने पर अप्रार्थी संख्या-1 द्वारा मौके पर विवाद किया जाने तथा अवगत कराया कि उक्त भूमि अप्रार्थी संख्या-1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जिस पर उक्त भूमि की समग्र जानकारी प्राप्त करने हेतु उसके द्वारा नकल नामान्तरकरण एवं आवंटन पत्रावली हेतु दिनांक 07.06.2022 एवं 10.06.2022 को सक्षम स्तरों पर आवेदन प्रस्तुत करते हुए दिनांक 14.06.2022 एवं 17.06.2022 को प्राप्त नकलों से संज्ञान में आया कि उक्त भूमि रकबा क्षेत्र के आवंटन से पूर्व ही प्रार्थी के बाप दादाओं के समय से लगभग 100 वर्षों से उक्त भूमि पर नियमित कब्जा काशत होकर मौके पर तारबंदी की हुई है तथा उक्त भूमि रकबा प्रार्थी के परिवार की अन्य खातेदारी भूमियों से लगती हुई एकचक रूप में मौजूद है।

अप्रार्थी को किये गये वक्त आवंटन आवंटन सलाहकार समिति तथा अन्य राजस्व कार्मिकों संबंधित पटवार हल्का तथा भू.अ.नि. द्वारा बिना किसी मौका जांच एवं कब्जे काशत की स्थिति का जायजा लेते हुए उक्त भूमि को आवंटन हेतु प्रस्तावित कराते हुए प्रार्थी के भूमिहीन काशतकार होते हुए भी अप्रार्थी संख्या-1 अन्य काशतकार को उक्त भूमि रकबा क्षेत्र का आवंटन किया गया जो विधि विरुद्ध होने से काबिले निरस्त योग्य है।


  
जिला कलक्टर  
प्रतापगढ़ (राज.)

इस संबंध में प्रार्थी को जानकारी प्राप्त होते ही उराके द्वारा आवंटन निरस्ती की कार्यवाही हेतु मियाद प्रार्थना पत्र के साथ यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा इसी क्रम में प्रार्थी द्वारा जिला कलक्टर महोदय की जनसूचवाई दिनांक 10.06.2022 के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के क्रम में तहसीलदार प्रतापगढ़ से प्रेषित रिपोर्ट दिनांक 04.07.2022 के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विवादित आवंटन को निरस्त फरमाया जाकर उक्त भूमि रकबा प्रार्थी के नियमित कब्जे काशत में होने के अनुसार प्रार्थी के पक्ष में नियमानुसार आवंटन हेतु आदेश फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को सूचना पत्र जारी किये गये जिनकी बाद तामिल रिपोर्ट अप्रार्थी संख्या-1 कि ओर से उपस्थित अधिवक्ता द्वारा वकालत नामा एवं जवाब प्रार्थना पत्र रिकार्ड पत्रावली पर प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली है।

बहस उभय पक्ष अन्तिम सूनी गई दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अन्तर्गत नियम 14(4) आवंटन नियम 1970 एवं मियाद प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में वर्णित कथनों तथा जनसूचवाई प्रार्थना पत्र के क्रम में तहसीलदार प्रतापगढ़ द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट में उल्लेखित बिन्दुओं तथ्यों का हवाला देते हुए तथा अप्रार्थी संख्या-1 द्वारा प्रस्तुत जवाब बिन्दुओं का खण्डन करते हुए मुख्य रूप से निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या-1 को आवंटित भूमि पर प्रार्थी के बाप दादाओं के समय से लगभग 100 वर्षों से कब्जा काशत रही है तथा आस पास की अन्य भूमियां प्रार्थी के अन्य परिवारजन की खातेदारी भूमियों से गिरी हुई है। प्रार्थी की उक्त कब्जा काशत की भूमियों को एकचक करने तथा मौके पर तारबंदी कराने की कार्यवाही के दौरान अप्रार्थी संख्या-1 द्वारा राजस्व रिकार्ड में उसके नाम दर्ज गैर-खातेदारी आधार पर अन्यथा विवाद उत्पन्न किया है। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड दस्तावेज तथा जनसूचवाई रिपोर्ट दिनांक 04.07.2022 के अनुसार उक्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा साबित होता है तथा अप्रार्थी संख्या-1 के नाम जारी विवादित आवंटन आदेश दिनांक 11.06.1998 से लगायत आदिनांक तक कब्जे काशत के अभाव में उक्त भूमियां राजस्व रिकार्ड में केवल गैर खातेदारी के रूप में दर्ज रिकार्ड है। जबकि उक्त भूमि के आवंटन हेतु प्रार्थी प्रारम्भ से सक्षम पात्रता रखने वाला दावेदार था। अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को विलम्ब माफी के साथ स्वीकार फरमाते हुए विवादित आवंटन आदेश निरस्त फरमावे तथा उक्त भूमि रकबा नियमानुसार प्रार्थी के आवंटन हेतु आदेश प्रदान करावे।

इसी प्रकम में दौरान बहस उपस्थित अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या-1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों का खण्डन करते हुए एवं प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का हवाला देते हुए मुख्य रूप से निवेदन किया गया कि अप्रार्थी संख्या-1 को आवंटित भूमि रकबा प्रारम्भ से अविवादित रहा है तथा वक्त आवंटन कार्यवाही अप्रार्थी संख्या-1 के भूमिहीन काशतकार होने के नाते उसके द्वारा प्रस्तुत आवेदन आधार पर उक्त विधिवत् आवंटन अप्रार्थी के पक्ष में किया जाकर विधिवत् कब्जा अन्तरण के साथ बतौर गैर खातेदारी नामान्तरकरण कार्यवाही की गई है। वक्त आवंटन प्रचलित विधियों एवं नियमों अनुसार आवंटन आदेश की शर्तों की पालना के साथ 10 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर आवंटनी को आवंटित भूमि की गैर-खातेदारी स्वतः खातेदारी में परिवर्तित किये जाने की जिम्मेदारी राजस्व प्रशासन की रही है। अप्रार्थी आवंटन दिनांक से आदिनांक तक उक्त भूमि रकबा पर निर्विवादित रूप से कब्जा काशत चली आ रही है तथा वक्त आवंटन कार्यवाही आवंटित भूमि आराजी संख्या 42 रकबा 5.05 हैक्टर में से 0.50 हैक्टर भूमि रकबा अप्रार्थी संख्या-1 के भाई श्री चैनराम पुत्र शंकरलाल दर्जी को भी जरिये आवंटन मिशाल संख्या 149/1998 दिनांक 11.06.1998 को किया गया है। किन्तु प्रार्थी द्वारा आवंटित भूमियों पर जबरन कब्जा काशत स्थापित करने की नियत से मौके पर जेसीबी लाकर काम करवाना चाहता था जबकि आवंटित भूमि रकबा क्षेत्र के आस पास प्रार्थी की कोई खातेदारी भूमि उपलब्ध नहीं है तथा प्रार्थी के पास अन्य कई भूमि रकबा होकर समुचित भूमिहीन काशतकार की श्रेणी में भी नहीं आता है। प्रार्थी द्वारा आवंटन आदेश दिनांक 11.06.1998 के पश्चात् लगभग 24 वर्षों बाद आवंटन निरस्ती हेतु बिना किसी सक्षम अधिकार के आवंटन निरस्ती हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना स्वतः खारीज योग्य है।

  
जिला कलक्टर  
प्रतापगढ़ (राज.)

बहस उभय पक्ष पर गनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड दरतावेज क्रमशः— प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) दिनांक 22.06.2022 एवं प्रस्तुत जवाब दिनांक 29.09.2023 तथा प्रमाणित प्रति आवंटन मिशाल संख्या 158/1998 आवंटन आदेश एवं सनद पट्टा दिनांक 11.06.1998 तथा नकल नामान्तरकरण गैर-खातेदारी संख्या 99 दिनांक 05.07.1998 एवं जमाबंदी खतौनी संवत 2058 से 2061 व जमाबंदी संवत 2066 से 2069 एवं जमाबंदी खाता संख्या 140 संवत 2074 से 2077 तथा जनसूनवाई प्रार्थना पत्र दिनांक 10.06.2022 एवं रिपोर्ट तहसीलदार 04.07.2022 के साथ साथ प्रकरण में प्रस्तुत न्यायिक विनिश्चयों [ { 2016(2)RRT 756 एवं 2016(1) RRT 718 राजस्थान हाई कोर्ट जयपुर बैंच,} एवं 2010 (1) RRT 157 राजस्व मण्डल अजमेर ] तथा प्रकरण पर प्रचलित विधियों का गहनता पूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन किया गया।

उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन कि रोशनी में ज्ञात आया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 14(4) आवंटन नियम 1970 में उल्लेखित भूमि पर प्रार्थी के वक्त आवंटन अथवा उससे पूर्व या पश्चात् आवंटित भूमि पर किसी प्रकार का कोई कब्जा काश्त रही हो रिकार्ड साक्ष्य प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा वक्त आवंटन आवंटित भूमि के संबंध में प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि के आवंटन हेतु कोई आवेदन प्रस्तुत किया गया हो दर्शित रिकार्ड नहीं है तथा प्रार्थी द्वारा आक्षेपित उक्त भूमि आवंटन मिशाल संख्या 158/1998 आदेश दिनांक 11.06.1998 एवं दर्ज नामान्तरकरण संख्या 99 दिनांक 05.07.1998 के संबंध में किस प्रकार की प्रक्रियात्मक अथवा तकनीकी त्रुटियां कारित हुई है साबित करने में असफल रहें हैं। जबकि वक्त आवंटन से उक्त भूमियां आवंटी/अप्रार्थी संख्या-1 को आवंटित होने तथा गैर खातेदारी में निर्विवादित रूप से नियमित राजस्व रिकार्ड में दर्ज होना दर्शित रिकार्ड है। साथ वक्त बहस एवं प्रस्तुत जवाब अप्रार्थी के कथन की आवंटन के 10 वर्ष अवधी पूर्ण होने पर आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना किये जाने की स्थिति में गैर-खातेदारी से खातेदारी अधिकार स्वतः प्रदत्त किये जाने चाहीये थे अथवा आवंटी/ गैर-खातेदार द्वारा आवंटन शर्तों की नियत समयावधि में पालना नहीं किये जाने की स्थिति में उक्त गैर-खातेदारी को विलोपित करने की सक्षम कार्यवाही का अभाव रहा है। किन्तु यह अधिकार किसी तृतीय पक्षकार अथवा प्रार्थी को अभिप्राप्त नहीं है। जहां तक प्रार्थी के जनसूनवाई प्रार्थना पत्र दिनांक 10.06.2022 पत्र के क्रम में तहसीलदार प्रतापगढ़ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 04.07.2022 में यद्यपि प्रार्थी के कब्जे का उल्लेख किया गया है किन्तु तहसीलदार द्वारा प्रकरण में विवादित आवंटित/गैर-खातेदारी भूमि पर प्रार्थी का कितने भूमि रकबा क्षेत्र पर कब से किस अधिकार से कब्जा है और मौके पर किसकी काश्त उपलब्ध है स्पष्ट नहीं किया गया है। जबकि प्रार्थी स्वयः के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के पैरा 03 में उल्लेखित किया जाना कि दिनांक 01.06.2022 को प्रार्थी द्वारा प्रकरण में विवादित भूमि पर समतली करण की कार्यवाही की जा रही थी अर्थात् प्रस्तुत जनसूनवाई प्रार्थना पत्र दिनांक 10.06.2022 के क्रम में तहसीलदार प्रतापगढ़ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट उक्त कार्यवाही के प्रतिफल पर आधारित हो। किन्तु राजस्व रिकार्ड में दर्ज गैर-खातेदारी भूमि पर अन्य का कब्जा काश्त होना आवंटन निरस्ती का आधार नहीं माना जा सकता है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अत्यन्त विलम्ब तथा निराधार तथ्यों पर प्रस्तुत किया गया है। जो किसी भी प्रकम में स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी सिद्ध योग्य नहीं पाये जाने से खारीज किया जाता है तथा तहसीलदार प्रतापगढ़ को निर्देश दिये जाते है कि राजस्व ग्राम काजली की आराजी संख्या 42/479 रकबा 0.50 हैक्टर भूमि वर्ष 1998 से दर्शित गैर खातेदारी भूमि के संबंध में युक्ति युक्त कार्यवाही करें। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 14.06.2024 को खुले न्यायालय सुनाया जाकर लिपीबद्ध किया गया है।



(डॉ. अंजलि राजौरिया)  
जिला कलेक्टर  
प्रतापगढ़